पत्र संख्या–2/वि0–20–03/2013 गृ0आ0–**2396**

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

दुर्गेश कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21 मार्च 2017

विषयः– **श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया, सम्प्रति अनु0 पु0 पदाधिकारी, रक्सौल का दिनांक 01.07.14 से दिनांक 17.07.14 तक की पदस्थापन की प्रतीक्षा में व्यतीत की गई का विनियमन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी खगड़िया सम्प्रति अनु0पु0 पदाधिकारी, रक्सौल को विभागीय अधिसूचना सं0–5259 दिनांक 26.06.14 द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी खगड़िया से स्थानान्तरित करते हुए तत्काल पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया। इसके आलोक में श्री कुमार दिनांक 30.06.14 (अप0) को अपना प्रभार सौंप कर दिनांक 03.07.14 के पूर्वाह्न में पुलिस मुख्यालय में योगदान किया तथा वे उक्त तिथि से पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे।

2. पुनः विभागीय अधिसूचना सं0–5903 दि0 15.07.14 के द्वारा श्री कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया गया। जहाँ ये दिनांक 17.07.14 के अपराह्न में अपना योगदान दिया। इस प्रकार श्री कुमार के द्वारा दि0 01.07.14 से दि0 17.07.14 तक पारगमन काल/पदस्थापन की प्रतीक्षा में व्यतीत की गई अवधि दोष रहित है।

3. उपरोक्त स्थिति में इस पर सम्यक विचारोपरांत सरकार ने श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी खगड़िया सम्प्रति अनु0पु0 पदाधिकारी, रक्सौल के द्वारा दि0 01.07.2014 से 17.07.2014 तक की अवधि का विनियमन निम्न रूप से करने का निर्णय लिया है।

I. दि0 01.07.14 से 02.07.14 –पदग्रहण/पारगमन काल के रूप में।
II. दि0 03.07.14 से 15.07.14 –पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में।
III. दि0 16.07.14 से –देय अवकाश के रूप में।
IV. दि0 17.07.14 को –पारगमन काल (Transit) के रूप में।

उक्त अवधि में श्री कुमार को कोटि रूप में वेतन देय होगा।

4. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव, गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/वि0–20–03/2013 गृ0आ0–**2396** /पटना दिनांक 21 मार्च 2017

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1398 दिनांक 21.02.17 के प्रसंग में/वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ श्री राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/17

सरकार के उप सचिव।